

यू०पी० नीट यू०जी०-२०२२ के अन्तर्गत विस्तारित मॉप-अप राउण्ड (आफलाइन) हेतु समय-सारिणी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश।

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विस्तारित माप-अप राउण्ड की समय सारिणी निम्नवत् है:-

राजकीय मेडिकल कालेज एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक २६ दिसंबर, २०२२ को पूर्वाह्न १०.३० बजे (राजकीय सीटो हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थी)
निजी क्षेत्र की एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक २६ दिसंबर, २०२२ को मध्याह्न १२.०० बजे (आल इण्डिया रैंक ५००००० तक)
निजी क्षेत्र की एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि (सीटे रिक्त रहने की दशा मे)	दिनांक २७ दिसंबर, २०२२ को पूर्वाह्न १०.०० बजे (आल इण्डिया रैंक ५००००१ से सभी अर्ह अभ्यर्थी)
निजी क्षेत्र की बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक २७ दिसंबर, २०२२ (पूर्वाह्न ११.०० बजे से) (सभी अर्ह अभ्यर्थी)
प्रवेश लेने की तिथि	आवंटन की तिथि को ही On Spot प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होगी।

- मॉप-अप राउण्ड का आयोजन के०जी०एम०यू० लखनऊ के कलाम सेंटर में किया जायेगा।
- निर्धारित तिथि व समय पर अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है।
- विस्तारित मॉप-अप राउण्ड हेतु कोई भी पृथक पंजीकरण नहीं किया जायेगा। मॉप-अप राउण्ड से पंजीकृत अभ्यर्थी ही विस्तारित माप-अप राउण्ड अर्ह होंगे।
- विस्तारित मॉप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू०पी० नीट यू०जी० २०२२ की प्रथम, द्वितीय एवं माप-अप राउण्ड से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- यू०पी० नीट यू०जी० २०२२ की प्रथम, द्वितीय एवं माप-अप राउण्ड से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी विस्तारित मॉप-अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो भारतवर्ष के किसी मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में नीट यू०जी०-२०२२ के माध्यम से प्रवेशित है वह विस्तारित मॉप अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम रू० १०.०० लाख तथा निजी क्षेत्र के बी०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु रू० २.०० लाख का सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० (Director General Medical Education & Training,U.P) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मॉप-अप राउण्ड में पंजीकरण तो कराया था किन्तु पंजीकरण शुल्क तथा सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर पाये थे, ऐसे अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क रू० १०००/- तथा सिक्योरिटी धनराशि रू०, ३०,०००, रू० १,००,०००/- तथा रू० २,००,०००/- का पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, जो लखनऊ में देय हो के पक्ष में लाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों के शिक्षण शुल्क के अन्तर की धनराशि On Spot जमा किया जाना अनिवार्य है।
- यदि कोई अभ्यर्थी यू०पी० नीट २०२२ की प्रथम, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग एवं मॉप-अप राउण्ड के माध्यम से बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेशित है, तो ऐसे अभ्यर्थी सिक्योरिटी मनी रू० २.०० लाख जमा करते हुए मॉप-अप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- यदि अभ्यर्थी नीट २०२२ से पूर्व की काउन्सिलिंग के माध्यम से बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेशित है, तो वह अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ मॉप-अप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेगा।

- बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा विस्तारित मॉप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु संबंधित कालेजों से त्याग-पत्र देते हुए मूल प्रमाण-पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- विस्तारित मॉप-अप राउण्ड की प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आवंटन/प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- विस्तारित मॉप-अप राउण्ड की कार्यवाही सीटें उपलब्ध होने तक ही की जायेगी।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://upneet.gov.in> & www.dgme.up.gov.in पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।


महानिदेशक